न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज़
	नाथू बनाम बद्री वाद क्रम 33/12
11/6/21	[illegible] पंजीकृत [illegible] जिला कलेक्टर [illegible] दिनांक 15/07/21 को पेश हो। [illegible]
15/7/21	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार रामगढ पचवारा से ईजरा प्राप्त हुए जो आर्थिक पत्रावली किये जाने प्रतिवादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित आने वादीगण की पहचान श्री R.B सिंह Adv द्वारा की गई पक्षकारान द्वारा मुताबिक ईजरा वाद वादीगण के हित में रूपये डिक्री करने हेतु सहमति व राजीनामा होना कहते किया है। वादीगण का वाद मुताबिक ईजरा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है ईजरा व नक्शा निर्णय का अंग रहेगे वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक ईजरा रहेगा एवं ईजरा मुताबिक नक्शा रहेगा तदनुसार वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। पत्रावली के कलमबन्द हो। करने नक्शा के कार्य हेतु वाद तकमीन अधिक दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा